चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द्र कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा ग्राम भभई में महिला को लाठी डण्डों से मारकर हत्या करने वाले प्रकाश में आये 01 और आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.08.2025 को वादी सत्यनारायण पुत्र लालजी निवासी ग्राम लोधी थाना बसंतपुर जनपद बलरामपुर छत्तीसगढ़ द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गयी कि दिनांक 22.08.2025 को मेरी माँ देवंती पत्नी लालजी सदगुरू नेत्र चिकित्सालय जानकीकुण्ड म0प्र0 आँख का इलाज कराने कैम्प के माध्यम से आयी थी । जो वहाँ एडमिट होने के बाद दिनांक 24.08.2025 को अस्पताल से बिना बताये भटकते हुए ग्राम भभई चौकी शिवरामपुर में छोटेलाल पुत्र रामकृष्ण यादव निवासी भभई चौकी शिवरामपुर के खेत पहुंच गयी । छोटेलाल उपरोक्त ने कुछ ग्राम वासियों के साथ मिलकर लाठी डण्डो से मेरी माँ के साथ मारपीट की जिससे उनकी मृत्यु हो गयी । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 542/25 धारा 105 बीएनएस बनाम छोटेलाल उपरोक्त व कुछ ग्रामवासी पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी को घटना में सम्मलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त धारा 105 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 103(1),191(2) बीएनएस की बढोत्तरी करते हुए दिनांक 26.08.2025 को नामजद अभियुक्त छोटेलाल उपरोक्त व विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. पप्पू वर्मा पुत्र शंकर लाल 2.मत्तू यादव उर्फ सतेन्द्र पुत्र छुट्टन यादव 3.बच्चा पुत्र जयकरन निवासीगण भभई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया था।

आज दिनांक 28.05.2025 को अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव उर्फ घनश्याम पुत्र छोटेलाल निवासी भभई चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

धर्मेन्द्र यादव उर्फ घनश्याम पुत्र छोटेलाल निवासी भभई चौकी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उपेन्द्र प्रताप सिंह प्र0नि0 कोतवाली कर्वी
2.आरक्षी विपिन कुमार
3.आरक्षी राहुल देव
4.आरक्षी नीतू द्विवेदी

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यापल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के वाँछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि 06.08.2025 को एक ग्राम वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि उसकी नाबालिक पुत्री बहला फुसलाकर ले जाना । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 491/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम विदेशी पुत्र अज्ञात निवासी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया । दौराने विवेचना बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस से मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। आज दिनाँक 28.08.2025 को उ0नि0 श्री हरिशंकर राम व उनकी टीम ने मु0अ0सं0

491/2025 धारा 137(2), 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट के वाँछित अभियुक्त ब्रजेश उर्फ विदेशी पुत्र रामनारायण जोशी निवासी राघवपुरी सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1.उ0नि0 हरिशंकर राम थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी नागेश कुमार

3.आरक्षी अनुज कुमार

(5). आज दिनाँक 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के व्यापारियों के साथ गोष्ठी की गयी । पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी समस्याओं के बारे में पूंछते हुए सर्राफा व्यापारियों को सतर्कता रखने हेतु कहा गया कि जेवरात एवं नगदी लेकर चलते समय सतर्कता रखें यथासम्भव चार पहिया वाहन का प्रयोग करें। बाइक पर नकदी व जेवर लेकर अकेले सफर न करें कम से कम दो लोग तो एक साथ सफर करें । सभी व्यापारियों को अपनी-अपनी दुकानों में एवं दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवायें, दुकानों के बाहर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करायें तथा सर्राफा बाजार में पूर्व की भांति चौकी व्यवस्था बनाकर रखें साथ ही साथ यही भी बताया गया कि जो कर्मचारी आपके संस्थान में नियुक्त हो उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन अवश्य करा ले जिससे उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी आपको हो सके कि वह किस प्रवृत्ति का है,दुकानों में लगी वायरिंग को समय समय पर चेक करते रहे खराब होने की दशा में उन्हें बदलवा ले जिससे दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना से बचा जा सके।

इस दौरान पीआरओ श्री प्रवीण कुमार सिंह तथा जनपद के सर्राफा व्यापारी उपस्थित रहे ।

(6) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्रीमती नीलू मैनवाल द्वारा आज दिनाँक 28.08.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 950/14 धारा 366/34,376 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त नरेन्द्र जोगी पुत्र भूपत जोगी निवासी सीतापुर चौगलिया बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 35000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्ता श्रीमती जिजन बाई को फरार घोषित करते हुए 299 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है दिनाँक 11.12.2014 को थाना कोतवाली कर्वी के एक ग्राम वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा वादी की मौसी की लड़की को परिक्रमा के बहाने बहला फुसलाकर ले जाना तथा लड़की के साथ दुष्कर्म करना । इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 950/14 धारा 366/34,376 भादवि0 बनाम अभियुक्त नरेन्द्र जोगी पुत्र भूपत जोगी व अभियुक्ता श्रीमती जिजन बाई के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री अजय कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। दिनाँक 12.12.2014 को आरोपी को गिरफ्तार कर दिनाँक 24.12.2014 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया था ।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी न्यू श्री रवि कुमार दिवाकर द्वारा आज दिनांक 28.08.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 2256/2009 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. शिवदत्त अवस्थी पुत्र उमेश अवस्थी निवासी ग्राम खोही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.संजय शुक्ला पुत्र रवि कुमार निवासी व थाना नौगवा जनपद छतरपुर म0प्र0 को 10-10 वर्ष का कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरण:-

दिनाँक 29.05.2009 को तत्कालीन निरीक्षक श्री चन्द्रधर गौड़ द्वारा आरोपी अभिमन्यु 1. शिवदत्त अवस्थी पुत्र उमेश अवस्थी निवासी ग्राम खोही थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.संजय शुक्ला पुत्र रवि कुमार निवासी व थाना नौगवा जनपद छतरपुर म0प्र0 के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 2256/2009 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री भाष्कर मिश्र द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दिनाँक 13.10.2010 को आरोपियो के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस0 आनन्द द्वारा आज दिनाँक 28.08.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 61/2005 धारा 324,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बच्चीलाल पुत्र शिवकुमार आरख निवासी चंदई थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 3000 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9) श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकान्त यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री राजेंद्र प्रसाद भारती द्वारा आज दिनाँक 28.08.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 89/2020 धारा 323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. घनश्याम पुत्र बद्री 2. भगवानदास पुत्र घनश्याम निवासीगण विलास थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2000/-2000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(10). प्रशिक्षण निदेशालय के पत्र संख्याः प्रति-प-71-2023 दिनांकित 14.07.2025 एवं आरक्षी ना.पु.(सीधी भर्ती/मृतक आश्रित) आधारभूत प्रशिक्षण पाठयक्रम-2025 द्वारा नव नियुक्त रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा – निर्देश निर्गत किये गये है जिसके क्रम में आज दिनांक 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन चित्रकूट में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 449 रिक्रूट आरक्षियों के भावनात्मक/मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता को आमंत्रित किया गया । आचार्य डॉ0 मदन गोपाल वाजपेयी, धनवंतरी पीठ, आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट द्वारा प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव व आरटीसी प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार यादव की उपस्थिति में प्रशिक्षण संस्थान आरटीसी पुलिस लाइन चित्रकूट स्थित कान्हा सभागार में प्रशिक्षणरत 449 रिक्रूट आरक्षियों को भावनात्मक/मानसिक रूप से सुदृढ़ एवं आत्मबल बढ़ाने हेतु संवाद किया गया।

(11). आज दिनाँक 28.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद चित्रकूट के जनप्रतिनिधियों के साथ गोष्ठी की गयी। इस गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों से जनपद में नागरिकों को होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा गया तथा बेहतर कानून व्यवस्था हेतु सुझाव लिये गये। जनपद में चल रही चोरों की गैंग व चोरों द्वारा ड्रोन उड़ाने से सम्बन्धित अफवाहों के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चित्रकूट की जनता से आग्रह किया गया कि अफवाहों पर ध्यान न दें। आपकी सुरक्षा के प्रति सम्पूर्ण चित्रकूट पुलिस द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक थाना/चौकी क्षेत्र के गांवों/मजरो में ग्राम प्रधान/बीडीसी व अन्य सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ समन्वय स्थापित कर ग्राम सुरक्षा समिति का गठन किया गया है।
इस गोष्ठी में माननीय मऊ मानिकपुर विधायक श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, जिलाध्यक्ष भा0ज0पा श्री महेन्द्र कोटार्य, कोआपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा अध्यक्ष श्री पंकज अग्रवाल एवं श्री शिवशंकर सिंह रहे।